

निर्णय बइजलास शक्तिसिह भाटी (R.A.S.) सहायक कलेक्टर व उपखण्ड अधिकारी देवगढ
जिला राजसमन्द राज0

प्र0 सं0 24/2016 रे0 वाद

संसोधन निर्णय दिनांक -07.08.2019


अनवान
श्री दीपक कुमार आदी बनाम श्री डाउसिह आदी
वादीगण प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा - 53 राजस्थान टेनेन्सी एक्ट

संसोधन आदेश मुल डिक्री

पुर्व मे दिनांक 08.06.2016 को प्रकरण का निर्णय हो चुका है। निर्णय बाद दिनांक 20.06.2016 को प्रकरण में मुल डिक्री जारी हुई। प्रकरण मे वादी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 152 व 153 सी पी सी का निर्णय मे लिपीकीय व गणितिय त्रुटी रह जाने से प्रस्तुत किया गया। प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया कि पुर्व के मुल डिक्री में वादी गोद सिह पिता राजु सिह के बजाय गोविन्द सिह पिता राजुसिह रावत मुल डिक्री बनाते समय दर्ज हो गया। जबकि वाद पत्र में, राजस्व जमाबन्दी एव प्रस्तुत बंटवारा प्रस्ताव में भी गोद सिह पिता राजुसिह ही दर्ज था। उक्त नाम वादी का लिपिकिय एव टंकण भुल से गोदसिह पिता राजुसिह के बजाय मुल डिक्री दिनांक 20.06.2016 को गोविन्द सिह पिता राजुसिह दर्ज हो गया जिससे राजस्व रेकार्ड में भी जमाबन्दी में बाद बंटवारा वादी का नाम गलत रूप से दर्ज हो गया जिसे संसोधन किया जावे वादी के प्रार्थना पत्र को सुना गया दस्तावेजो का अवलोकन किया बाद अवलोकन पाया गया कि मुल डिक्री के समय वादी का नाम गलत लिख दिया जिससे मुल डिक्री कि पालना के बाद राजस्व रेकार्ड में वादी का नाम गलत दर्ज हो गया जो लिपिकिय टंकण भुल से हुआ अतः संसोधन आदेश दिया जाता है कि मुल डिक्री दिनांक 20.06.2016 के प्रकरण सख्या 24/2016 में जो ग्राम कामली पटवार हल्का कामली के खाता सख्या 49/87 कि भुमी से सम्बधीत है। मै संसोधन डिक्री द्वारा आदेशित किया जाता है कि दर्ज गोविन्द सिह पिता राजुसिह के बजाय गोद सिह पिता राजुसिह पढा जावे एव उसी अनुसार राजस्व जमाबन्दी में संसोधन के आदेश दिया जाता है।

कि गई।


सहायक कलेक्टर
सहायक कलेक्टर देवगढ

संसोधन निर्णय मुल डिक्री आज दिनांक 07.08.2019 को जारी